Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अजमेर के किशनगढ़ में प्रबंधक, राजस्थान वित्त निगम के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति मामले में 03 ठिकानों पर छापे
- वैध आय से लगभग 758 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 12 मार्च। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलीजेन्स शाखा द्वारा दी गई सूत्र सूचना पर आज शनिवार को एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए श्री कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक, राजस्थान वित्त निगम, किशनगढ अजमेर के जयपुर के आवासीय/व्यवसायिक/औधोगिक/धर्मकांटा एवं कार्यालय पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि राज्य सरकार की **''भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति व भ्रष्ट लोकसेवकों पर प्रभावी कार्रवाई''** के अनुसरण में ब्यूरो मुख्यालय द्वारा श्री कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक, राजस्थान वित्त निगम किशनगढ अजमेर के विरूद्ध सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाया जाने पर प्रकरण संख्या 88/2022 दर्ज कर **अनुसंधान अधिकारी श्रीमती वंदना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, जयपुर नगर चतुर्थ मुख्यालय जयपुर के नेतृत्व में ब्यूरो की जयपुर एवं अजमेर की चौकियों के सहयोग से टीमों का गठन किया जाकर आज सुबह उनके 03 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्यवाही की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आंकलन के अनुसार श्री **कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम किशनगढ अजमेर** द्वारा लगभग **6.50 करोड से भी अधिक की** परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है जो इनकी वैध आय से 758 प्रतिशत अधिक है, जो निम्न है :–

- आरोपी अधिकारी द्वारा अपनी अवैध आय को जयपुर, सीकर, चौमू, अलवर, बहरोड, नीमराना, शाहपुरा, सांभर, फुलेरा, अचरोल में कई आवासीय/व्यवसायिक/औधोगिक/भूखण्डों/कृषि भूमि में स्वयं के तथा बेनामी नामों से निवेश किया है।
- आरोपी अधिकारी के मुरलीपुरा स्थित आवासीय मकान की खाना तलाशी में लगभग **70 से अधिक आवासीय/व्यवसायिक/औधोगिक/फैक्ट्री/व्यावसायिक धर्मकांटे का संचालन/भूखण्डों के** दस्तावेजात प्राप्त हुए है, इसके अलावा अन्य कई निवेश से संबंधित दस्तावेजात भी प्राप्त हुए है।
- आरोपी के विभिन्न बैंको में लगभग 15 बैंक खाते, 64 लाख रूपये की 30 एफ.डी.आर., एल.आई.सी. पॉलिसियों के दस्तावेज भी प्राप्त हुए है।
- जयपुर के मुरलीपुरा में पत्नी के नाम से संचालित ज्वैलरी शोरूम जिसमें 670 ग्राम सोना एवं 6.5 किलो चांदी तथा 5 लाख 30 हजार कीमत की आर्टिफिशियल ज्वैलरी एवं 12 लाख 32 हजार कीमत के कीमती महिला वस्त्र परिधान बरामद।
- तलाशी के दौरान आरोपी के 02 बैंक लॉकर होना भी पता चला है। सर्च कार्यवाही जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी जारी है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल–फ्री हैल्पलाईन नं0 1064 एवं वाट्सएप हैल्पलाईन नं0 94135–02834 पर 24x7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।